प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 187वीं बैठक दिनांक 09.06.2003 का कार्यवृत्त

मद सं0	विषय	निर्णय
187/1–1	परिषद की 186वीं बैठक दिनांक 21.03.2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई।
187/1–2	परिषद की 186वीं बैठक दिनांक 21.03.2003 की अनुपालन आख्या।	अनुमोदित।
	अभियन्त्रण अनुभाग	
187/2–3	परिषद की बहादराबाद योजना संख्या–1,रानीपुर हरिद्वार के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विकास कार्यो में जलापूर्ति हेतु लगभग 8–10 वर्ष पूर्व बिछायी गयी छतिग्रस्त लाईनों को बदलने की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्रयुक्त किए गए पाइप की गुणवत्ता के संबंध में अपर आवास आयुक्त (र) से जांच करवा कर दोष पाए जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। इस जांच में परिषद के मुख्य अभियन्ता, अपर आवास आयुक्त की सहायता करेंगें। पाइप लाइन को बदलने हेतु शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जाए।
187/2–4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम्प्यूटर रेल परियोजनाओं में परिषद की भागीदारी हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	30 करोड़ की सीमा तक के अंशदान के लिए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि एक कार्य योजना इस आशय की बनाई जाय कि इस धनराशि की व्यवस्था कैसे की जायेगी। यह भी अपेक्षा की गई की यह जानकारी कर ली जाए कि क्या यह परियोजना परिषद की "लोनी योजना" तक विस्तारित की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से पूर्ण विवरण भी तैयार किया जाए।
187/2–5	परिषद योजनाओं में एकीकृत निविदा आमन्त्रित करने पर उचित निविदा प्राप्त न होने की दशा में निर्माण एवं विकास कार्यों को विभागीय पद्धति से कराए जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि सामान्यतः दो बार एकीकृत निविदा आमंत्रित की जाए और असफल होने पर विभागीय पद्धति से कार्य संपन्न कराया जाए।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
187/2–6	वसुन्धरा योजना,गाजियाबाद स्थित आवासीय भूखण्ड सं0–3/974 के	केवल अतिरिक्त ब्याज तथा विलम्ब शुल्क माफ किया गया। साधारण

कार्यवृत्त

...द सं0	विषय	निर्णय
87/1-1	परिषद की 186वीं बैठक दिनांक 21.03.2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई।
87/1-2	परिषद की 186वीं बैठक दिनांक 21.03.2003 की अनुपालन आख्या।	अनुमोदित।
	अभियन्त्रण अनुभाग	
87/2-3	परिषद की बहादराबाद योजना संख्या-1,रानीपुर हरिद्वार के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विकास कार्यो में जलापूर्ति हेतु लगभग 8-10 वर्ष पूर्व बिछायी गयी छतिग्रस्त लाईनों को बदलने की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्रयुक्त किए गए पाइप की गुणवत्ता के संबंध में अपर आवास आयुक्त (र) से जांच करवा कर दोष पाए जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। इस जांच में परिषद के मुख्य अभियन्ता, अपर आवास आयुक्त की सहायता करेंगें। पाइप लाइन को बदलने हेतु शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जाए।
87/2-4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम्प्यूटर रेल परियोजनाओं में परिषद की भागीदारी हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	30 करोड़ की सीमा तक के अंशदान के लिए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि एक कार्य योजना इस आशय की बनाई जाय कि इस धनराशि की व्यवस्था कैसे की जायेगी। यह भी अपेक्षा की गई की यह जानकारी कर ली जाए कि क्या यह परियोजना परिषद की ''लोनी योजना'' तक विस्तारित की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से पूर्ण विवरण भी तैयार किया जाए।
87/2-5	परिषद योजनाओं में एकीकृत निविदा आमन्त्रित करने पर उचित निविदा प्राप्त न होने की दशा में निर्माण एवं विकास कार्यों को विभागीय पद्धति से कराए जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि सामान्यतः दो बार एकीकृत निविदा आमंत्रित की जाए और असफल होने पर विभागीय पद्धति से कार्य संपन्न कराया जाए।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
87/2-6	वसुन्धरा योजना,गाजियाबाद स्थित आवासीय भूखण्ड सं0-3/974 के	केवल अतिरिक्त ब्याज तथा विलम्ब शुल्क माफ किया गया। साधारण

	सम्बन्ध में।(सं0प्र0मु0)	ब्याज माफ करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।
37/2–7	सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न युद्धों के शहीदों के आश्रितों को परिषद की समस्त योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में। (सं0प्र0मु0)	नवीनतम शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव पुनः बनाया जाए।
37/2–8	श्रीमती साधना जगदीश के पक्ष में विकास नगर योजना,लखनऊ में स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट भवन संख्या–11/324 के विरूद्व देय धनराशि में से ब्याज दण्ड ब्याज माफ करने एवं मूलधन को बिना ब्याज के किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में।(ल0जो0)	स्थगित।
37/2–9	शेखूपुरा योजना लखनऊ में सड़क की पटरी पर अनाधिकृत रूप से अध्यासित दुकानदारों के समायोजन के सम्बन्ध में(ल0जो0)।	अनुमोदित।
37/2–10	मैनपुरी योजना अन्तर्गत व्यवसायिक भू–खण्ड संख्या 1/2 के विरद्ध आरोपित अनिर्माण शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी। (का0जो0)	वर्तमान नीति से आच्छादित न होने के कारण अस्वीकृत।
37/2–11	एक नगर में दो भवन/भू–खण्ड क्रय किए जाने की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में । (सं0प्र0मु0)	अभी नीति में परिवर्तन की आवश्यक्ता नहीं है।
37/2–12	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भू–खण्ड संख्या 2 सी0पी0–215 तथा 2सी0पी0 –216 के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के सम्बन्ध में। (ल0जो0)	ओ.टी.एस. स्कीम में निस्तारित किया जाए।
37/2–13	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत नीलगिरि काम्प्लेक्स में अवस्थित दुकान संख्या एस–107 के सम्बन्ध में।	स्थगित।
	प्रशासन अनुभाग	
37/2–14	अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति	नान फील्ड जाब की अपूर्ण अवधि को

	हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	शिथिल किया गया।
187/2—15	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	नान फील्ड जाब की अपूर्ण अवधि को शिथिल किया गया।
	भूमि अर्जन अनुभाग	
187/2—16	नयी जुगौली रेलवे क्रासिंग अप्रोचरोड योजना, लखनऊ।	अवलोकित।
187/2—17	परिषद की सिकन्दरा गृह स्थान योजना,आगरा के अन्तर्गत खसरा सं0 — 110, 112, 113 एवं 114 मौजा बोदला तहसील व जिला आगरा की भूमि को विकास व्यय लेते हुए परिषद की योजना के ले—आउट में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	शासन के निर्देशों का अनुपालन किया जाए तथा वर्तमान नीति के अनुसार विकास शुल्क लिया जाए।
87/2—18	परिषद की वृन्दावन योजना सं0—3, लखनऊ में समाविष्ट खसरा सं0—2418 रकबा 2—2—17—0 बीघा स्थित ग्राम ईश्वरी खेड़ा हैवतमऊ मवैया की भूमि पर श्रीमती संगीता रावत, प्रबन्धक, गाँधी विद्यालय को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	स्कूल के साथ वार्ता करके उनकी सहमति प्राप्त करते हुए शासन को एक प्रस्ताव भेज कर; शासन के पूर्व आदेश पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया जाए।
87/2—19	परिषद की सिकन्दरा गृह स्थान योजना, आगरा के अन्तर्गत खसरा सं0—1116 से 1123 व 1127/2 रकबा 12—12—0 बीघा भूमि को विकास व्यय लेते हुए परिषद की योजना के ले—आउट में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	समस्त तथ्य भेजते हुए शासन से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाए।
87/2—20	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या—10(ग्राम चुनहेटी गाडा सईदपुर व मवी खुर्द) सहारनपुर की धारा—28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित। यह भी निर्देशित किया गया कि परिषद के सम्मुख इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक प्रारूप तय कर लिया जाए ताकि परिषद के समक्ष समस्त तथ्य आ सकें।

187/2–21	परिषद की माधवपुरम योजना संख्या–10,मेरठ में स्थित खसरा संख्या– 2281 के भूखण्ड संख्या–सी0पी0–9/1,9/2एवं 9/3 का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/2–22	तुलसी पुर योजना वाराणसी की भूमि परित्याग करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/2–23 मार्गदर्शक सिद्धान्तों से कोई (deviation) स्वीकार न करें।	जागृति विहार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 11 मेरठ की नियोजन समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।	नियोजन समिति के प्रस्तावों का विश्लेषण करके पुनः प्रस्तुत किया जाये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से अनुरोध किया जाए कि वे अपने विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस समिति में नामित करने का कष्ट करें।// (*23)
187/2–24	वृन्दावन योजना संख्या–2,लखनऊ के ग्राम उतरेटिया में समाविष्ट खसरा संख्या 633 की भूमि के सम्बन्ध में।	स्थगित।

ग्लोबल एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल

187/2–25	फिक्स्ड एवं फ्लेक्सेबिल सेण्टेज पर डिपाजिट कार्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।

प्रथम बार प्रस्तुत मद

अभियन्त्रण अनुभाग

187/2–26	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय।	अवलोकित।

प्रशासन अनुभाग

187/2–27	परिषद कार्मिकों को 1 जुलाई, 2002 से शासकीय कर्मियों की भाँति मंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
187/2—28	इन्दिरा नगर योजना,लखनऊ में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या 21/121 के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।(लख0 जोन)	स्थगित।
	वास्तुकला नियोजन अनुभाग	
187/2—29	शासनादेश के अनुसार मलबा शुल्क में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
	अभियन्त्रण अनुभाग	
187/3—30	पाण्डेपुर योजना, वाराणसी में 33/11के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि, यू0पी0पावर कार्पोरेशन लि0को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
187/3—31	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना में समाविष्ट खसरा संख्या 378 को श्री जोगिन्दर सिंह के पक्ष में समायोजित भूमि के स्थान पर उनकी पुत्री श्रीमती पूर्णिमा रामदास के पक्ष में शेखूपुरा योजना, लखनऊ में भूमि आबन्टित किए जाने के सम्बन्ध में.। (लख0जोन)	स्थगित।
87/3—32	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या सी—1206 माननीय राज्य मंत्री श्री घनश्याम शुक्ला के विरुद्ध आरोपित दण्ड व्याज आदि के सम्बन्ध में। (लख0जोन)	स्थगित।
37/3—33	डाक्टर इन्द्रा मुद्गल के पक्ष में विकास नगर योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट भवन संख्या 10/45 के विरुद्ध देय	स्थगित।

	धनराशि में से तत्काल शुल्क, पुनर्जीवन शुल्क एवं दण्ड ब्याज/ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।(लख0जोन)	
187/3-34	विकास नगर योजना, लखनऊ में सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय हेतु आरक्षित भवन संख्या 4/557 के आबन्टन के सम्बन्ध में।(लख0जोन)	स्थगित।
187/3-35	श्री नरेन्द्र सिंह राणा, भारतीय कोच, पावर लिफ्टिंग को शेखूपुरा योजना में व्यावसायिक भू-खण्ड के आबन्टन के सम्बन्ध में। (लख0जोन)	स्थगित।
187/3-36	मैनपुरी योजना अन्तर्गत आवासीय भू0संख्या 4/295, 4/294 एवं 4/292 के विरूद्ध आरोपित विलम्ब शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में परिषद के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।(कानपुर जोन)	स्थगित।
187/3-37	परिषद की उत्तरांचल राज्य स्थित रिक्त सम्पत्तियों के आबन्टन के सम्बन्ध में। (सम्प0प्र0मु0)	स्थगित।
187/3-38	परिषद की डमरौली योजना, मिर्जापुर स्थित व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या 105 को आवासीय में परिवर्तन करते हुए आबन्टन के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/3-39	फिरोजाबाद योजना में राजेन्द्र सिंह मेमोरियल सोसाइटी को आबन्टित स्कूल भू-खण्ड की देय किश्तों का विलम्ब से भुगतान किए जाने के कारण आरोपित दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।(स0प्र0मु0)	स्थगित।
187/3-40	व्यावसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।(स0प्र0मु0)	स्थगित।
87/3-41	पावर आफ एटार्नी के माध्यम से सम्पत्तियों का अन्तरण एवं पंजीयन किए जाने के सम्बन्ध में।(स0प्र0मु0)	अवलोकित।

187/3–42	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्तियों के बिक्रय पर लाभ (40 प्रतिशत) लाभांश के सन्दर्भ में।	स्थगित।
187/3–43	यू0पी0आई0एल0 कैम्पस विधायक आवास स्वयं वित्त पोषित योजना में माननीय विधायकों पर आरोपित विलम्ब शुल्क को सामान्य रूप से मुक्त किए जाने के सम्बध में। (पंजीकरण)	स्थगित।
	भूमि अर्जन अनुभाग	
187/3–44	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–9, सहारनपुर क्षेत्रफल 11.424 एकड़ अनुमानित लागत 785. 744 लाख।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि आवास आयुक्त योजना की 'वित्तीय वायबिलिटी' के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे।
187/3–45	अकबरपुर जनपद अम्बेदकर नगर में प्रस्तावित आवासीय योजना के धारा–28 हेतु प्रस्ताव।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि आवास आयुक्त योजना की 'वित्तीय वायबिलिटी' के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे।
187/3–46	भूमि खसरा संख्या 516 रकबा 1057 वर्ग गज स्थित औरंगाबाद शाहपुरडिग्गी, जागृति विहार योजना संख्या–6,मेरठ के सम्बन्ध में।	वापिस लिया गया।
187/3–47	परिषद द्वारा प्रस्तावित नयी योजनाओं के स्थल चयन हेतु उप–समिति के गठन के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/3–48	बहराइच–बलरामपुर मार्ग पर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, बलरामपुर के धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि आवास आयुक्त योजना की वित्तीय वायबिलिटी के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे।
187/3–49	परिषद की जी0 टी0 रोड बाई पास भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, वाराणसी के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/3–50	बहराईच–भिन्गा मार्ग पर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, बहराइच की	अनुमोदित।

	धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
187/3–51	परिषद की कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर–6 स्थित ग्रुप हाउसिंग भू–खण्ड संख्या जी0एच0–6/1 के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/3–52	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित लोनी रोड योजना, गाजियाबाद के अन्तर्गत मेसर्स गर्ग कालोनाइजर्स की भूमि के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/3–53	आवास एवं विकास परिषद की तालकटोरा रोड स्ट्रीट योजना लखनऊ में ग्राम–जफरपुर उर्फ रूकुन्दीपुर, तहसील–परगना–लखनऊ में खसरा संख्या–187 के कुल रकबा 23–16–0 में से 14–14–10 को विकास/असुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित किए जाने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
187/3–54	वृन्दावन योजना सं0–2,भाग–2 पूरक योजना, लखनऊ (क्षेत्रफल 10.33 एकड़) धारा–31 (1) के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

लेखा अनुभाग

187/3–55	परिषद के वार्षिक लेखों को तैयार करने एवं आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर की देयता के ऑगणन हेतु "सिग्नीफिकेन्ट एकाउण्टिंग पालिसीज" के निर्धारण के सम्बन्ध में।	स्थगित।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

187/3–56	पूर्व आबन्टित व्यावसायिक भू–खण्डों में पार्किंग हेतु प्राविधान कराया जाना।	स्थगित।

187/3–57	इन्दिरा नगर योजना,लखनऊ में आवासीय भू–खण्ड संख्या 12/625 तथा 12/625/1 के मध्य स्थित 6 मीटर चौडी सड़क का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना।	स्थगित।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
187/3–58	वसुन्धरा योजना संख्या–3 गाजियाबाद में विनायक सहकारी आवास समिति लिमिटेड को ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत आबन्टित भू–खण्ड संख्या 9जी0 एच0 4 के विरूद्ध देयता का निर्धारण।(सं0प्र0मु0)	स्थगित।
87/3–59	परिषद की पंचवटी योजना, सीतापुर में सरस्वती शिशु मन्दिर,विवेकानन्द पुरी, सीतापुर को स्कूल भू–खण्ड 4496.19 वर्ग मीटर आबन्टित किए जाने के सम्बन्ध में।(ल0जो0)	स्थगित।
187/3–60	वसुन्धरा योजना,गाजियाबाद के विस्थापितों के सम्बन्ध में।(सं0प्र0मु0)	स्थगित।
87/3–61	शास्त्री नगर योजना संख्या–3,मेरठ स्थित आवासीय भू–खण्ड संख्या के–1 के विरूद्ध आरोपित व्याज माफी के सम्बन्ध में।(सं0प्र0मु0)	स्थगित।
	प्रशासन अनुभाग	
7/3–62	परिषद में मुख्य अभियन्ता के रिक्त होने वाले पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में।	स्थगित।
	लेखा अनुभाग	
7/3–63	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ0) के स्थान पर पेंशन	अनुमोदित।
	योजना/पारिवारिक पेंशन योजना लागू किए जाने विषयक आवास एवं शहरी	

	नियोजन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 1256 / 9–आ–2–2003–3एच0बी0(83) / 95 दिनांक 7मई,2003 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।	
87 / 3–64	वसुन्धरा योजना,गाजियाबाद में वार्तालोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित 176 नग चार मन्जिला भवनों के लिए सुपर प्लिन्थ एरिया भूमि दर का पुनर्निधारण।	स्थगित।
87 / 3–65	वित्तीय वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखे (बैलेन्स शीट आदि) के सम्बन्ध में।	स्थगित।
87 / 3–66	परिषद के वार्षिक लेखों को तैयार करने एवं आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर की देयता के ऑगणन हेतु "सिग्नीफिकेन्ट एकाउण्टिंग पालिसीज" के निर्धारण के सम्बन्ध में।	स्थगित।
87 / 3–67	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 3, झांसी की नियोजन समिति की संस्तुतियों के संबंध में।	स्थगित।
87 / 3–68	दिल्ली सहारनपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की धारा 31(1) के अंतर्गत परिषद की स्वीकृति के संबंध में।	स्थगित।
87 / 3–69	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची चतुर्थ, पंचम व षष्टम्।	अवलोकित।
87 / 3–70	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय	–

पढ़ी गई

[illegible]